

यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

निवासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 219/2012

प्रतिवादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राज0)

1. केवलराम पुत्र मंगाराम टांक
(कुमावत) निवासी-निमाज,
तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राज0)

**राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955**

तारीख रजू: 15.10.2012

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 05/06/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 252 रकबा 16-00 बीघा किस्म बा0प्र0, लगान 32.00 रुपये की आई हुई है। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 11-00 बीघा किस्म बा0प्र0 पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर शैक्षणिक माध्यमिक विद्यालय उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्रति0 के द्वारा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति शैक्षणिक माध्यमिक विद्यालय उपयोग कर खातेदारी शर्तों (अधिकार) का उल्लंघन किया गया। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 01/10/2012 प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 को लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश करने में विफल रहने से इनकी ओर से जबाबदावा का अवसर समाप्त किया जाकर जबाबदावा बन्द किया जाता हैं। फर्द पटवारी ने बनाई हैं। उससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि कृषि भूमि में अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में ली जा रही हैं। सबूत के तौर पर पर्याप्त हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रति0 ने सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 252 रकबा 11-00 बीघा किस्म बा0प्र0 में शैक्षणिक माध्यमिक विद्यालय उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया हैं। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

**उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)**

-::आदेश::-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रति० इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 252 रकबा 11-00 बीघा किरम बा०प्र० जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रति० के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता है। प्रति० को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि प्रति० को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा०मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 05/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-निमाज पर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज०)


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज०)

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

:- उपखण्ड अधिकारी, गुकाम:- जैतारण
:- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

जै अदालत
वईजलास
वादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. केवलराम पुत्र गंगाराम टांक
(कुगावत) निवारी-निमाज,
तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राज0)

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत
धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955

गु0न0 :रा0वा0 स0: 219/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व गिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 252 रकबा 11-00 बीघा किस्म बा0प्र0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती है। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता है। प्रति0 को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि प्रति0 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...
.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/06/2015 को जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			गुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

01-00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।